सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

प्रार्थना पत्र संख्याः– 15 / प्रा0पत्र / 2023 **दायरा दिनांक :– 01.02.2023**

GCMS ID–2023 / 168

1. रामकरण आ0 भोजा जाति मीणा निवासी ग्राम देवडूंगरी तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
2. कस्तूर चंद आ0 भोजा जाति मीणा निवासी ग्राम देवडूंगरी तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
3. कस्तूरी बाई पुत्री भोजा जाति मीणा नि0 ग्राम देवडूंगरी तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
4. सांवरी बाई पुत्री भोजा पत्नी सुखराम जाति मीणा निवासी ग्राम देवडूंगरी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
5. मीरा बाई पुत्री भोजा पत्नी कंवरलाल जाति मीणा निवासी ग्राम देवडूंगरी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
6. रामकंवरी पत्नी भोजा जाति मीणा निवासी ग्राम देवडूंगरी तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
7. कमला पुत्री किसना जाति मीणा निवासी ग्राम देवडूंगरी तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
8. कैलाश पुत्र किसना जाति मीणा निवासी ग्राम देवडूंगरी तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
9. कांता पुत्री किसना जाति मीणा निवासी ग्राम देवडूंगरी तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
10. कलीराम पुत्र किसना जाति मीणा निवासी ग्राम देवडूंगरी तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
11. प्रभूलाल आ0 किसना जाति मीणा निवासी ग्राम देवडूंगरी तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
12. पांचीबाई पुत्री किसना जाति मीणा निवासी ग्राम देवडूंगरी तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
13. रामप्रसाद पुत्र किसना जाति मीणा निवासी ग्राम देवडूंगरी तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
14. फूंदीलाल आ0 किसना जाति मीणा नि0 ग्राम देवडूंगरी तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
15. कस्तूरचंद पुत्री प्रताप जाति मीणा निवासी ग्राम देवडूंगरी तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
16. छोटूलाल आ0 प्रताप जाति मीणा निवासी ग्राम देवडूंगरी तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
17. बिरधीबाई पत्नी प्रताप जाति मीणा निवासी ग्राम देवडूंगरी तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
18. बसंतीबाई पुत्री प्रताप जाति मीणा निवासी ग्राम देवडूंगरी तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
19. मनभर पुत्री प्रताप जाति मीणा निवासी ग्राम देवडूंगरी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
20. शांति पुत्री प्रताप जाति मीणा निवासी ग्राम देवडूंगरी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
21. श्योजीलाल पुत्र प्रताप जाति मीणा निवासी ग्राम देवडूंगरी तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
22. लाला पुत्र भूरा जाति मीणा निवासी ग्राम देवडूंगरी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
23. मोडू पुत्र भूरा जाति मीणा निवासी ग्राम देवडूंगरी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
24. मोहन पुत्र भूरा जाति मीणा निवासी ग्राम देवडूंगरी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
25. सुखदेव पुत्र भूरा जाति मीणा निवासी ग्राम देवडूंगरी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थीगण

बनाम

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

1. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी।
2. गीताबाई पत्नी मदनलाल जाति मीणा नि0 ग्राम देवडूंगरी तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
3. सुनील आ0 मदनलाल जाति मीणा निवासी ग्राम देवडूंगरी तह0 हिण्डोली जिला बून्दी
4. मुकेश आ0 मदनलाल जाति मीणा निवासी ग्राम देवडूंगरी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के तहत

वकील प्रार्थी :– श्री शम्भूदयाल शर्मा

वकील अप्रार्थीगण :– एकतरफा

दिनांक :– 21/04/2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि खसरा संख्या 1287 रकबा 0.3642 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1288 रकबा 0.2104 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1289 रकबा 0.4047 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1290 रकबा 0.5666 हैक्टेयर, खसरा संख्या 964 रकबा 0.2185 हैक्टेयर, खसरा संख्या 967 रकबा 0.1619 हैक्टेयर, खसरा संख्या 972 रकबा 0.2428 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 2.1691 है0 वाके ग्राम रोशन्दा पटवार मण्डल रोशन्दा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में भोजा आ0 जगन्नाथ के नाम खातेदारी में दर्ज है भोजा की मृत्यु हो गई है भोजा के वारिस प्रार्थीगण 1 लगायत 6 है। खसरा संख्या 1286 रकबा 0.7122 हैक्टेयर खसरा संख्या 895 रकबा 0.5585 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.2707 हैक्टेयर वाके ग्राम रोशन्दा पटवार मण्डल रोशन्दा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राजस्थान में स्थित है जो जमाबंदी संवत 2076 से 2079 की खतौनी संख्या 100 में प्रार्थीगण 7 लगायत 25 के नाम सहखातेदारी में दर्ज है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमियॉ प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमियॉ है। खातेदार भोजा की मृत्यु हो गई है। भोजा के वारीसार के नाम विरासत पर नामान्तकरण दर्ज नहीं हुआ है लेकिन प्रार्थीगण 1 लगायत 6 भोजा के वारिस जो पिता की मृत्यु के बाद कानूनन खातेदार बन चुके है इसलिए भोजा के वारिसान प्रार्थीगण प्रार्थना प्रस्तुत कर रहा है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमि पर आने जाने का कोई रिकॉडैड रास्ता नहीं है। ग्राम पेंच की बावडी में ग्राम देवडूंगरी जाने हेतु मौके पर खसरा संख्या 1293 में रास्ता बना हुआ है और 1291 की भूमि पर होकर प्रार्थीगण अपनी खातेदारी खसरा संख्या 1286 पर आते जाते है। खसरा संख्या 1291 सिवायचक सरकारी भूमि है। प्रार्थीगण मौके पर खसरा संख्या 1291 में 1285 के सहारे अपनी भूमि पर आते जाते है तथा इसी रास्ते से अपने हल, खुली, गाडी बैल, ट्रेक्टर, ट्रॉली आदि कृषि उपकरण लाते व ले जाते है। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 प्रार्थीगण के रास्ते की भूमि खसरा संख्या 1291 व 1293 की भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रहे है तथा प्रार्थीगण के रास्ते की भूमि पर आवागमन में अप्रार्थीगण बाधा पहुंचाना चाहते हैं जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं है। खसरा संख्या 1293, 1291 से खसरा संख्या 1286 तक प्रस्तावित नक्शे के मुताबिक प्रार्थीगण रास्ता घोषित करवाना चाहते है और घोषित रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा कर रास्ते की तरमीम करवाना चाहते है ताकि प्रार्थीगण की भूमि पर आने जाने के रास्ते में किसी प्रकार का कोई व्यवधान अप्रार्थीगण नहीं कर सकें। ग्राम पेंच की बावडी से देवडूंगरी जाने वाली सडक से प्रार्थीगण की भूमि पर आने

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

जाने हेतु ग्राम पेचं की बावडी से देवडूंगरी जाने वाली सडक से प्रार्थीगण की भूमि पर आने जाने हेतु खसरा संख्या 1293, 1291 में मौके पर उपयोग में आ रहे रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता घोषित करवा कर व रास्ते की राजस्व नक्शे में तरमीम करवावें। साथ ही न्यायालय द्वारा घोषित रास्ते में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण 2 लगायत 4 को पाबन्द भी करवावे। खसरा संख्या 1291 राजकीय सिवायचक भूमि है जिसकी स्वामी राज्य सरकार है लेकिन उक्त राज्य सरकार की सिवायचक भूमि खसरा संख्या 1291, 1293 पर अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 अवैध रूप से अतिक्रमण कर मौके पर प्रार्थीगण की आवाजाही में बाधा उत्पन्न करते हैं तथा उक्त रास्ते की भूमि को हांककर खेत में मिलाने की धमकिंया देते हैं तथा रास्ते से निकलने पर गाली गलौज करते है तथा मारपीट का प्रयास करते है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण अपने खातेदारी भूमि पर आने जाने हेतु ग्राम पेंच की बावडी से देव डूंगरी जाने वाली सडक जो खसरा संख्या 1293 में बनी हुई है उक्त सडक से खसरा संख्या 1293, 1291 में प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1286 तक 1285 के सहारे 15 फिट चौडा रास्ता रिकॉर्ड में घोषित करवाना चाहते है। प्रार्थीगण रास्ते में अवाप्त किये जाने वाली भूमि की प्रतिकर राशि राजकोष में जमा करवाने को तत्पर है। प्रार्थीगण की भूमि पर आने जाने हेतु कोई रिकॉडेड रास्ता नहीं है और न ही कोई वैकल्पिक रास्ता है। प्रार्थीगण अपने खातेदारी की भूमि पर ग्राम पेंच की बावडी से देव डूंगरी जाने वाली सडक से खसरा संख्या 1293 व 1291 में होकर ही अपनी भूमि पर आते जाते है। प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते को नजरी नक्शा प्रशिष्ठ अ में दर्शाया गया है। प्रार्थी उक्त प्रस्तावित रास्ते के अनुरूप रास्ते की घोषणा करवाना चाहते है। प्रार्थीगण की भूमि पर आने जाने हेतु अन्य कोई रिकॉडेड व वैकल्पिक रास्ता नहीं होने से उक्त रास्ते की प्रार्थीगण को अत्यंत आवश्यकता है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए रास्ते की भूमि खसरा संख्या 1291, 1293 राजकीय सिवायचक भूमि है लेकिन अप्रार्थी 2 लगायत 4 द्वारा रास्ते की भूमि पर आवाजाही में व्यवधान करने के कारण उनको उक्त प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 का उक्त भूमि में कोई हित निहित नहीं है। खसरा संख्या 1291 व 1293 राजकीय भूमि होने से सरकार के प्रतिनिधि तहसीलदार हिण्डोली को उक्त प्रकरण में पक्षकार बनाकर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर आने जाने हेतु ग्राम पेंच की बावडी से ग्राम देवडूंगरी जाने वाली सडक से खसरा संख्या 1293, 1291 में खसरा संख्या 1286 तक खसरा संख्या 1285 के सहारे 15 फीट चौडा रास्ता नजरी नक्शा परिशिष्ट अ के अनुसार घोषित किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें तथा उक्त घोषित रास्ता का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाकर नक्शे में तरमीम करवाई जावे एवं रास्ते को सुचारू रूप से चालू करवाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4 बावजूद तामिलों के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। तहसीलदार हिण्डोली की ओर से पत्रांक :–राजस्व/25/395 दिनांक :–12.02.2025 से प्रस्तावित रास्ते के बाबत जॉच रिपोर्ट पेश की जो शामिल मिसल है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी जाकर बहस के दौरान प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस कहा कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1287, 1288, 1289, 1290, 964, 967, 972 व अन्य खातेदारी भूमियॉ वाके ग्राम रोशन्दा पटवार मण्डल रोशन्दा में आने जाने हेतु भूमि खसरा संख्या 1291 व 1293 जो कि राजकीय सिवायचक भूमियॉ है, में से होते हुए 15 फुट चौडा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में घोषित किया जावे। इस बाबत तहसीलदार हिण्डोली द्वारा जो प्रस्तावित रास्ता बताया गया है, उसकी घोषणा की जावे। प्रार्थीगण इस बाबत राशि जमा कराने को तैयार है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण मे तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु खसरा संख्या 1291, 1293, 1294 में से 13 फिट चौडा रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि खाता संख्या 126 के खसरा संख्या 1287, 1288, 1289, 1290, 964, 967, 972 वाके ग्राम रोशन्दा पटवार मण्डल रोशन्दा में आने–जाने हेतु तहसीलदार हिण्डोली से प्राप्त प्रस्तावित रास्ते की रिपोर्ट अनुसार ग्राम रोशन्दा के खसरा नम्बर 1291 में से 448 (112x4) वर्ग मीटर (0.0448 हैक्टेयर) व खसरा संख्या 1293 में से 176 (44x4) वर्ग मीटर (0.0176 हैक्टेयर) व खसरा संख्या 1294 में से 436 (184x4) वर्ग मीटर (0.0436 हैक्टेयर) कुल 13 फीट चौडे रास्ते में कुल 1360 वर्ग मीटर या 14633.60 वर्गफुट (0.1360 हैक्टेयर) भूमि काम में आवेगी। प्रस्तावित नक्शे अनुसार रास्ता घोषित किया जाता है। प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि की डीएलसी राशि 850000/रू– प्रति हैक्टेयर है जिसमें से प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि 0.1360 हैक्टेयर भूमि की डी0एल0सी0 राशि 115600/रू– जिसकी दुगनी प्रतिकर राशि 231200/रू– का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा निर्धारित मद में जरिये चालान जमा होकर चालान प्रति पेश करने उपरान्त निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक :– 21.04.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

21/04/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446